कार्यालय आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड,
काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)।

परिपत्र संख्या : /सी/ख–क्रय अनुभाग/गन्ना सर्वेक्षण/2022–23 /दिनांक : अप्रैल, 2022

सहायक गन्ना आयुक्त,
ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून।

विषय : पेराई सत्र 2022–23 हेतु गन्ना सर्वेक्षण नीति का निर्धारण।

प्रत्येक पेराई सत्र में गन्ने के सम्भावित उत्पादन के दृष्टिगत चीनी मिलों के गन्ना क्षेत्र का निर्धारण एवं गन्ना कृषकों द्वारा उत्पादित गन्ने की चीनी मिलों को आपूर्ति की कार्ययोजना तैयार की जाती है। गन्ना उत्पादन के सही एवं स्पष्ट आंकलन हेतु बोये गये गन्ने के क्षेत्र का सही एवं समयान्तर्गत सर्वेक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कार्य है, जिसे पूर्ण शुद्धता, तत्परता एवं निष्ठा के साथ किये जाने की आवश्यकता है।

गन्ना सर्वेक्षण कार्य हेतु प्रमुख अवयव निम्नवत हैं :–

1. **गन्ना सर्वेक्षण की प्रक्रिया।**
2. **गन्ना सर्वेक्षण का निरीक्षण एवं अनुश्रवण।**
3. **सर्वेक्षण से सम्बन्धित ग्राम्य स्तरीय बैठकें एवं सर्वेक्षण सूचियों का प्रदर्शन।**
4. **बेसिक कोटे की समय से तैयारी।**
5. **नये सदस्यों की भर्ती।**
6. **उपज बढ़ोत्तरी हेतु प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति एवं निस्तारण।**
7. **गन्ना सर्वेक्षण के सुचारू सम्पादन हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण।**

उक्त सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये :–

1. **गन्ना सर्वेक्षण की प्रक्रिया :–**

1.1 सर्वेक्षण प्रणाली :–

गन्ना सर्वेक्षण का कार्य मैट्रिक प्रणाली पर आधारित होगा।

1.2 सर्वेक्षण की समय–सारणी :–

गन्ना सर्वेक्षण का कार्य दिनांक 01 मई, 2022 से प्रारम्भ कर दिनांक 15 जून, 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य में शिकायत प्राप्त होने पर सर्वेक्षण कार्य का सत्यापन/जांच यथासम्भव जीपीएस (GPS) अथवा मैनुअल पद्धति द्वारा कराया जायेगा। गन्ना सर्वेक्षण का समस्त कार्यक्रम परिशिष्ट–1 में दी गयी समय–सारणी के अनुसार पूर्ण किया जायेगा।

1.3 सर्वेक्षण के लिए राजस्व अभिलेख :–

समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे सर्वेक्षण हेतु सुसंगत राजस्व अभिलेख यथा खसरा–खतौनी एवं राजस्व ग्राम का सजरा आदि अभिलेखों की प्रतियां राजस्व विभाग से दिनांक 10 मई, 2022 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें तथा इस सम्बन्ध में हुई प्रगति से प्रतिदिन मुख्यालय को अवगत करायेंगें। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा राजस्व अभिलेखों की एक

प्रति सर्वे टीम को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे सर्वे टीम गन्ना सर्वे के समय अपने पास अनुरक्षित रखेगी।

1.4 घोषणा पत्र की प्राप्ति अनिवार्य :–

1.4.1 सर्वेक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व सर्वेक्षण दल द्वारा समस्त कृषकों से उनके द्वारा बोये गये गन्ना क्षेत्रफल के सम्बन्ध में परिशिष्ट–2 में निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र प्राप्त किये जायें। प्राप्त घोषणा पत्रों का सर्वेक्षण के समय शत्–प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक उत्तरदायी होंगे।

1.4.2 घोषणा पत्र के साथ गन्ना कृषक के आधार कार्ड तथा अपरिहार्य स्थिति में अन्य विकल्प यथा मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स/बैंक पासबुक की प्रति भी प्राप्त कर समिति कार्यालय में अनुरक्षित की जाये। सर्वेक्षण के कम्प्यूटर में फीडिंग के समय कृषक के आधार नम्बर को भी अनिवार्य रूप से फीड किया जाये।

1.4.3 यदि किसी कृषक द्वारा अपरिहार्य कारणवश घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सके तो सर्वेक्षण के समय घोषणा पत्र सम्बन्धित कृषक से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाये तथा मौके पर ही सर्तकतापूर्वक इसका सत्यापन भी करा लिया जाये।

1.4.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि जो कृषक घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं करायेंगे, आगामी पेराई सत्र 2022–23 में उनका सट्टा संचालित नहीं किया जायेगा। घोषणा पत्र न देने वाले तथा गलत घोषणा पत्र देने वाले गन्ना कृषकों का विवरण परिशिष्ट–3 पर प्रस्तुत किया जायेगा

1.4.5 कृषकों द्वारा जन सूचना केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र आदि से राजस्व खतौनी (भू–अभिलेख) की कम्प्यूटर जनित्र प्रति प्राप्त करते हुऐ स्वप्रमाणित कर घोषणा पत्र के साथ उपलब्ध कराई जायेगी।

1.5 गन्ना सर्वेक्षण हेतु कार्यक्रम का निर्धारण :–

गन्ना सर्वेक्षण हेतु चीनी मिल एवं विभागीय संयुक्त दल का गठन एवं विस्तृत कार्यक्रम का निर्धारण ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/गन्ना प्रबन्धक द्वारा सर्वेक्षण प्रारम्भ करने से एक सप्ताह पूर्व कर लिया जाये। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं इसमें लगें कार्मिकों की सूचना सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे, जो अपने स्तर से समुचित मार्ग दर्शन एवं अनुश्रवण कर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करायेंगे। सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं इसमें लगे कार्मिकों की सूचना की एक प्रति सम्बन्धित चीनी मिलों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। सहायक गन्ना आयुक्त अपने जनपद में सर्वे जांच हेतु आने वाले अन्य अधिकारियों को भी कार्यक्रम की प्रति उपलब्ध करायेंगे।

1.5.1 सर्वेक्षण हेतु गठित टीमों के लिए पर्याप्त गन्ना पर्यवेक्षक उपलब्ध न होने पर उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग की पूर्व स्वीकृति लेकर यथा आवश्यक सहकारी गन्ना विकास समितियों के कर्मचारियों को रखा जा सकेगा जिसकी अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी किन्तु इनका वेतन आहरण सौंपे गये कार्य के फसल सम्पादन होने पर इस आशय से ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर ही किया जायेगा। उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियम) अधिनियम, 1953 की धारा 14(1)(ए) के अनुसार संयुक्त रूप से किए गये गन्ना सर्वेक्षण में लगने वाले समिति स्टाफ पर होने वाला व्यय सम्बन्धित चीनी मिल वहन करेगी।

1.5.2 गन्ना सर्वेक्षण के प्रयोजन हेतु प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र में स्टाफ की उपलब्धता के अनुरूप 500 से 1000 हेक्टेयर तक की अस्थाई सर्किल बनायी जायेगी। गन्ना सर्वेक्षण टीम में एक कर्मचारी राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक/समिति कर्मचारी तथा एक कर्मचारी चीनी मिल का होगा। प्रत्येक सर्किल हेतु एक इन्चार्ज नियुक्त किया जायेगा। सर्किल इन्चार्ज राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक होगा।

1.5.3 गन्ने का सर्वेक्षण मैनुअल आधार पर किया जाना है, ऐसी स्थिति में गन्ना सर्वेक्षण/सहायक (चैनमैन) की संख्या सर्वेक्षण टीम के अनुसार यथा आवश्यक ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा निर्धारित की जायेगी तथा चैनमैन के पारिश्रमिक के भुगतान का दायित्व उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 14(1)(ए) के अन्तर्गत सम्बन्धित चीनी मिल का होगा।

1.5.4 प्रत्येक जोन में नियुक्त गन्ना विकास निरीक्षकों के साथ–साथ समिति में नियुक्त सचिव प्रभारी को गन्ना सर्वेक्षण कार्य के लिए ब्लाक प्रभारी नियुक्त किया जायेगा, जो अपने पर्यवेक्षक से इस कार्य को सम्पन्न करायेंगे। जोन स्तर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जिला स्तर पर सहायक गन्ना आयुक्त सर्वेक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे।

1.5.5 गन्ना सर्वेक्षण टीम में उन्हीं कर्मचारियों को रखा जायेगा जो गन्ना सर्वेक्षण की मूलभूत जानकारी रखते हो। गन्ना सर्वेक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व सर्वेक्षण टीम का प्रशिक्षण मिल/जोन स्तर पर सहायक गन्ना आयुक्त के निर्देशन में आयोजित किया जायेगा। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक इस प्रशिक्षण के संयोजक होंगे। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में सर्वेक्षण नीति पेराई सत्र 2022–23 में उल्लेखित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की जायेगी तथा सर्वेक्षण कार्मिकों की पृच्छाओं का मौके पर ही समाधान किया जायेगा। प्रशिक्षण सम्पन्न होने के उपरान्त प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों को एक प्रश्नावली देकर उनकी ग्राह्यता/फीडबैक प्राप्त किया जायेगा। प्रशिक्षण उपरान्त गन्ना सर्वेक्षण हेतु आवश्यक समस्त वांछित अभिलेख/सामग्री सर्वेक्षण टीम को उपलब्ध करा दी जायेंगी।

1.5.6 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं चीनी मिल द्वारा टीमवार, तिथिवार, ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार–पत्रों, एस0एम0एस0 एवं पम्पलेट आदि के माध्यम से विधिवत प्रचार–प्रसार किया जायेगा, ताकि सर्वे टीम के गांव में पंहुचने की जानकारी कृषकों को पूर्व में ही हो जाए, जिससे सर्वे कार्य में उनका पूर्ण सहयोग मिल सके।

1.5.7 गन्ना सर्वेक्षण कार्य हेतु **G.P.S./Handheld Device** से कराने हेतु विस्तृत एवं प्रभावी कार्ययोजना सहायक गन्ना आयुक्तों द्वारा प्रत्येक जोन स्तर पर क्रियान्वित कराई जायेगी, जिससे कि प्लाट की भुजाओं में आने वाले अन्तर एवं अन्य त्रुटियों का पता चल सके तथा ससमय प्रकाशमान त्रुटियों का समाधान/निराकरण किया जा सके।

1.6 पूर्व वर्ष के सर्वेक्षण अभिलेखों की अभिरक्षा :–

1.6.1 वर्तमान फसल का सर्वेक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्षो के समस्त गश्ती केन सर्वे रजिस्टर उनके कार्यालय में जमा करा लिए गये हैं, वे इस आशय का प्रमाण–पत्र सहायक गन्ना आयुक्त को उपलब्ध करायेंगे। सहायक गन्ना आयुक्त इन अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में उपयुक्त स्थान पर अनुरक्षित करेंगे, ताकि पूर्व वर्ष के आंकड़ों के आधार पर बिना प्लाटवार माप किऐ ही सर्वेक्षण अभिलेख तैयार करने की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।

1.6.2 गन्ना सर्वेक्षण की समाप्ति के उपरान्त मापे गये पेड़ी गन्ना के प्रजातिवार क्षेत्रफल तथा पेराई सत्र 2022–23 में मापे जा चुके प्रजातिवार पौधे गन्ने के क्षेत्रफल के तुलनात्मक आकड़ों सहित चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/गन्ना प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक/महाप्रबन्धक (गन्ना) इस आशय का एक प्रमाण पत्र ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के माध्यम से सहायक गन्ना आयुक्त को मिल संचालन से पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे कि पेराई सत्र 2021–22 के पौधे गन्ने तथा पेराई सत्र 2022–23 के पेड़ी गन्ने के प्रजातिवार क्षेत्रफल में कोई भिन्नता नहीं है। भविष्य में चीनी मिल संचालित होने के उपरान्त यदि इन आंकड़ों में भिन्नता प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित सर्वेक्षणकर्ता एवं सम्बन्धित ज्येष्ठ

गन्ना विकास निरीक्षक तथा चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/गन्ना प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक संयुक्त रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे तथा उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के साथ–साथ डाटा में छेडछाड़ मानते हुये विधिक कार्यवाही संज्ञान में लायी जायेगी।

1.6.3 गत वर्ष के सर्वेक्षण से सम्बन्धित जो आंकड़े समितियों/चीनी मिलों के कम्प्यूटर में अनुरक्षित हों, उन्हें भी कम्प्यूटर सी0डी0 में लेकर, उपयुक्तानुसार सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा। इन आंकड़ों को कम्प्यूटर सी0डी0 पर अनुरक्षित कर लेने के उपरान्त गत वर्ष के सर्वे डाटा को कम्प्यूटर से हटा दिया जायेगा।

(अ) गन्ना सूचना प्रणाली :–

कृषकों को गन्ना आपूर्ति एवं गन्ना मूल्य भुगतान की सूचनाओं की शुद्धता, सुगमता से उपलब्धता एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रत्येक समिति स्तर पर नोटिस बोर्ड पर उक्त सूचनाऐं चस्पा की जायेंगी।

उपरोक्त सूचना प्रणाली का लाभ गन्ना कृषकों को पहुंचाने के दृष्टिगत गन्ना सर्वेक्षण के कार्य में निम्न प्रकार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जायेगी :–

1. सर्वे टीम के क्षेत्र में जाने की तिथि, सर्वे टीम के इंचार्ज के नाम व मोबाईल नम्बर की सूचना तीन दिन पूर्व नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।
2. कृषकों के खेतों का सर्वे करने के उपरान्त उनके खेतों के रकबे से सम्बन्धित सूचनाएं नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।
3. ग्रामों में सर्वे सूचियों का प्रदर्शन करने से तीन दिन पूर्व इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।
4. सर्वे कार्य से सम्बन्धित आंकड़ों को चीनी मिलें अपनी वेबसाईट पर दैनिक रूप से अपलोड कराती रहेंगी तथा अन्तिम रूप से सर्वे पूर्ण होने के उपरान्त समस्त विवरण व आंकड़े चीनी मिलें अपनी वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगी तथा इसकी सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से कृषकों को भेजी जायेगी।
5. चीनी मिलों की वेबसाईट पर आंकड़े अद्यावधिक रहें।
6. यदि किसी गन्ना कृषक को अपने खेत के सर्वे के सम्बन्ध में कोई आपूर्ति या शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उस कृषक के खेत का पुनः सर्वे कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का होगा।

1.7 सर्वेक्षण की विधि :–

1.7.1 सर्वेक्षण कार्य राजस्व अभिलेख यथा खसरा–खतौनी एवं राजस्व ग्राम का सजरा आदि के आधार पर प्लाटवार विभाग द्वारा निर्धारित गश्ती केन रजिस्टर के प्रारूप पर किया जायेगा तथा इसकी दो प्रतियां तैयार की जायेंगी।

1.7.2 गन्ना सर्वेक्षण के समय खेत उसी किसान के नाम अंकित किया जायेगा, जिसके नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि अंकित हो, किन्तु रेल, राजस्व, वन एवं सिंचाई विभाग द्वारा यदि किसी किसान को पट्टे पर भूमि दी गयी है तो इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही बोये गये गन्ने का सर्वेक्षण पट्टेदार के नाम किया जायेगा।

1.7.3 गन्ना सर्वेक्षण कार्य प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं को नापते हुए क्षेत्रफल का आगणन किया जायेगा।

1.7.4 गन्ना सर्वेक्षण करते समय अन्य सूचनाओं के साथ–साथ गन्ने की प्रजातियों के नाम, फसल की दशा आदि का विवरण सही प्रकार अंकित किया जायेगा, जिसमें खेत पौधशाला अथवा प्रदर्शन के रूप में बोया गया है, तो उसका क्षेत्रफल भी अंकित किया जायेगा।

1.7.5 गन्ना सर्वेक्षण करते समय ट्रैंच विधि द्वारा बुवाई किये गये प्लाटों के विवरण को अभ्युक्ति के कॉलम में अंकित किया जायेगा। शरदकालीन गन्ना बुवाई वाले प्लाटों एवं सहफसली खेती भी यदि गन्ने के साथ की गयी है तो उसका विवरण भी दर्ज किया जायेगा।

1.7.6 शरदाकालीन बोये गये गन्ने का प्रजातिवार क्षेत्रफल पृथक से गश्ती केन सर्वे रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

1.7.7 सर्वेक्षण के दौरान एकत्र विवरण को ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा सम्बन्धित चीनी मिल के प्रभारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रमाणित होने के बाद गन्ना विकास परिषद में अनुरक्षित रखा जायेगा। इन प्रमाणित अभिलेखों को ही समिति/चीनी मिल में उपलब्ध कम्प्यूटर में अग्रेतर आंकड़े तैयार करने हेतु फीड किया जायेगा।

1.7.8 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक प्रत्येक शनिवार को सर्वेक्षण की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट सहायक गन्ना आयुक्त को उसी दिन उपलब्ध करायेंगें। सहायक गन्ना आयुक्त जोन से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर सूचना संयुक्त/उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग एवं सांख्यिकी/क्रय अनुभाग, कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड को प्रत्येक सोमवार को प्रेषित करेंगे।

1.7.9 विगत सत्रों में संज्ञान में आया है कि सामान्य प्रजाति के गन्ने को शीघ्र प्रजाति के गन्ना क्षेत्रफल में अंकित किया जाता रहा हैं अतः निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र प्रजाति के गन्ना क्षेत्रफल की पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करने उपरान्त ही प्रविष्टि की जाये। उक्त प्रविष्टि में त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित गन्ना पर्यवेक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।

1.7.10 अनुपयुक्त प्रजाति के गन्ने का सर्वे कर, इसको सुस्पष्ट रूप से सम्बन्धित कॉलम में अंकित किया जायेगा।

1.7.11 गन्ना सर्वेक्षण सम्बन्धित समस्त सूचनाएं गश्ती केन सर्वे रजिस्टर (परिशिष्ट–4) में सुस्पष्ट अंकित किया जाये।

1.7.12. गन्ना सर्वेक्षण कार्य से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों में सम्बन्धित गन्ना पर्यवेक्षक एवं सर्किल इंचार्ज द्वारा स्पष्ट नाम, पदनाम एवं मोहर लगाई जायेगी जिसका सत्यापन अनिवार्य रूप से सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

2. गन्ना सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण एवं अनुश्रवण :–

2.1 गन्ना सर्वेक्षण का आकस्मिक निरीक्षण तथा प्रगति का अनुश्रवण समय–समय पर सम्बन्धित गन्ना समिति के अध्यक्ष, सम्बन्धित परिक्षेत्र के अन्तर्गत सम्बन्धित चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक/अध्यासी, सहायक गन्ना आयुक्त, संयुक्त/उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग एवं मुख्यालय द्वारा गठित जांच दल द्वारा किया जायेगा। सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा किये जाने वाले परिक्षेत्र का निरीक्षण कार्यक्रम का निर्धारण संयुक्त/उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, विशेष सचिव/सचिव एवं ब्लाक प्रभारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण कार्यक्रम का निर्धारित सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा किया जायेगा। संयुक्त/उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तैयार किए गये निरीक्षण कार्यक्रम की एक प्रति आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय (सांख्यिकी अनुभाग एवं क्रय अनुभाग) को प्रेषित करेंगे। सहायक गन्ना आयुक्त तैयार किये गये निरीक्षण कार्यक्रम की प्रति अपने कार्यालय में अनुरक्षित करते हुए, एक प्रति संयुक्त/उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग को प्रेषित करेंगे।

2.2 गन्ना विकास परिषद एवं जिला स्तर पर ऐसे ग्रामों की सूची तैयार कर ली जाये, जिन ग्रामों में विगत पेराई सत्र में गन्ना सर्वे सम्बन्धित अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी। निरीक्षणकर्ता अधिकारी इन ग्रामों को अपने निरीक्षण में आवश्यक रूप से सम्मिलित करेगें।

2.3 प्रत्येक चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक/अध्यासी भी अपने मिल क्षेत्र गन्ना सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे तथा वह भी सर्वे कार्यो का दैनिक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

2.4 समस्त सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा अपने परिक्षेत्र से सम्बन्धित सभी निरीक्षण अधिकारियों की संकलित सर्वे निरीक्षण रिपोर्ट पाक्षिक रूप से संयुक्त/उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग को प्रेषित की जायेगी तथा संयुक्त/उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग शिथिल अधिकारियों के सम्बन्ध में आवश्यक संस्तुति भी करेंगे।

2.5 संयुक्त/उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग द्वारा परिक्षेत्र से सम्बन्धित सर्वे निरीक्षण रिपोर्ट पाक्षिक रूप से आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग को उपलब्ध करायी जायेगी।

2.6 **गन्ना आयुक्त अधिष्ठान के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण :–**
गन्ना आयुक्त अधिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारी भी यथा निर्देश समय–समय पर सर्वेक्षण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

2.7 गन्ना सर्वेक्षण कार्यो का सत्यापन निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा परिशिष्ट–5 एवं 6 में दिये गये मानक के अनुसार किया जायेगा। अतः समस्त निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने लक्ष्यों की पूर्ति समयान्तर्गत करेंगे।

3. सर्वेक्षण से सम्बन्धित ग्राम स्तरीय बैठकें एवं सर्वेक्षण सूचियों का प्रदर्शन :–

3.1 सर्वेक्षण समाप्ति के बाद गश्ती केन सर्वे रजिस्टर को दिनांक 02 जुलाई, 2022 से 05 जुलाई, 2022 के मध्य प्रत्येक ग्राम की बैठक में रखकर ग्रामवार तथा समितिवार अनुमोदन प्राप्त कर, अन्तिम किया जायेगा। सम्बन्धित गन्ना विकास निरीक्षक/ब्लाक प्रभारी इसके लिए उत्तरदायी होगें।

3.2 कृषकवार गन्ना सर्वेक्षण सूची का ग्राम स्तरीय प्रदर्शन 06 जुलाई, 2022 से 21 जुलाई, 2022 के मध्य कराया जायेगा। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सर्वे प्रदर्शन का तिथिवार, ग्रामवार कार्यक्रम बनाकर सम्बन्धित को सूचित करेगें।

3.3 ग्रामवार प्रदर्शन की तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार पम्पलेट/समाचार पत्र आदि के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों पर किया जाये।

3.4 ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण सूचियों के प्रदर्शन के पश्चात प्रत्येक गांव के प्रजातिवार पेड़ी/पौधा के क्षेत्रफल का संकलित विवरण तैयार किया जायेगा, जिस पर सम्बन्धित ब्लाक प्रभारी के हस्ताक्षर होगें।

3.5 सर्वेक्षण सूची के प्रदर्शन के दौरान किसी कृषक का गन्ना क्षेत्रफल छूट गया हो, अथवा गलत अंकित हो गया है, तो ऐसे कृषकों की शिकायत को एक पंजिका में सूचीबद्ध करते हुए 15 दिन के अन्दर गन्ना विकास निरीक्षक की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निस्तारण किया जायेगा।

3.6 उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अंतिम आकड़ों की एक कम्प्यूटर जनित पी0डी0एफ0 फाईल तैयार कर चीनी मिल सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा सहायक गन्ना आयुक्त को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करेगी। सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथ सहायक गन्ना आयुक्त कार्यालय में उक्त फाईल अनुरक्षित की जायेगी। (परिशिष्ट–7)।

4. बेसिक कोटे की समय से तैयारी :–

गन्ना सर्वेक्षण आंकड़ों को तायार करने के उपरान्त कृषकों का बेसिक कोटा निकाला जायेगा तथा इसकी सूची तैयार की जायेगी। चीनी मिल क्षेत्रवार कृषकों के प्री–कलेण्डर का वितरण दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर दिया जाये। प्री–कलेण्डर वितरण में जो शिकायतें प्राप्त होंगी अथवा अधिक पैदावार सम्बन्धी आवेदन–पत्र प्राप्त होंगें, का निस्तारण करने के उपरान्त, अन्तिम कलेण्डर का वितरण किया जायेगा। अन्तिम कलेण्डर मिल चलने के एक सप्ताह पूर्ण वितरित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. नये सदस्यों की भर्ती :–

नये सदस्य बनाये जाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा सर्वेक्षण के समय आहूत ग्राम स्तरीय गोष्ठियों में नये सदस्यों का पंजीकरण भी कराया जायेगा। पेराई सत्र 2022–23 हेतु 31 अक्टूबर, 2022 तक बनाये गये सदस्यों को ही गन्ना आपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। मृतक सदस्यों के वारिस सदस्य उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 एवं तद्विषयक उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 में वर्णित प्राविधानों एवं समिति की उपविधि में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत सदस्य बनाये जायेंगे। नये सदस्यों से उनकी तीन प्रतियों में पासपोर्ट साईज फोटो, भू–अभिलेख एवं बैंक खाता नम्बर, आधार संख्या/ड्राईविंग लाईसेन्स लिया जायेगा, जिसे समिति अभिलेखों में अनुरक्षित किया जायेगा। जो नये सदस्य बनाये जायेंगे, उनके भूमि अभिलेखों का सत्यापन तहसील/एन0आई0सी0 से कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट लेकर कराया जायेगा। अग्रेत्तर नये सदस्यों का सट्टा तभी संचालित किया जायेगा जब वे अपना बैंक खाता संख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देंगे।

6. उपज बढोत्तरी हेतु प्रार्थना–पत्रों की प्राप्ति व निस्तारण :–

6.1 क्राप कटिंग प्रयोगों के आधार पर प्रत्येक चीनी मिल के लिए प्रति हेक्टेयर औसत उपज जनपदवार निकाली जायेगी। कुछ किसानों द्वारा मांग की जाती है कि उनके खेत में उत्पादकता औसत उपज से अधिक है, तथा उनके आधार पर उनकी उपज एवं कुल गन्ना उत्पादन को संशोधित करके बेसिक कोटा/सट्टे का आंकलन किया जाय। अपेक्षा की जाती है कि उपज बढ़ोत्तरी सम्बन्धी समस्त आवेदन–पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक निर्धारित शुल्क के साथ एकत्र कर लिए जायें तथा प्राप्ति के क्रम में रजिस्टर में पंजीकृत किए जाये।

6.2 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना विकास निरीक्षक आवेदनकर्ता किसानों के उपज की शत्प्रतिशत जांच कराकर उपज के वास्तविक आंकड़े संयुक्त/उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग को प्रस्तुत करेंगें। ऐसे 25 प्रतिशत, न्यूनतम 50 प्लाटों की सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा स्वंयं जांच की जायेगी। परिषद क्षेत्र से प्राप्त आवेदन–पत्रों की जांच के उपरान्त अधिकतम उपज के 10 प्रतिशत प्रकरण का सत्यापन, विशेष रूप से अधिक उपज को चिन्हित करते हुए, संयुक्त/उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के स्तर से किया जायेगा। स्थिति से सन्तुष्ट होने पर क्षेत्रीय संयुक्त/उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उपज बढ़ोत्तरी पर उचित निर्णय लेंगें। (परिशिष्ट–8)

7. गन्ना सर्वेक्षण के सुचारू संपादन हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण :–

उपर्युक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण कें कुशल सम्पादन हेतु जोन स्तर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जनपद स्तर पर सहायक गन्ना आयुक्त तथा मुख्यालय स्तर पर संयुक्त/उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तरदायी होगें।

प्रदेश में वर्तमान में विद्यमान कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं सैनीटाईजेशन के साथ–साथ इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये/किये जा रहे दिशा–निर्देशों/प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में गन्ना सर्वेक्षण का अतिमहत्वपूर्ण कार्य पूर्ण सत्यता, सर्तकता एवं स्थलीय स्थिति के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जायेगा।

संलग्नक :– यथोक्त।

(हंसा दत्त पाण्डे)
आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या : 935 /सी/ख–क्रय अनुभाग/गन्ना सर्वेक्षण/2022–23/दिनांक : 30 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास परिषदें, उत्तराखण्ड।
2. समस्त विशेष सचिव/सचिव/सचिव प्रभारी, सहकारी गन्ना विकास समितियां, उत्तराखण्ड।
3. सचिव प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक, सहाकारी, सार्वजनिक एवं निजी की चीनी मिलें, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
5. नोडल अधिकारी (आई0टी0) मुख्यालय, काशीपुर को इस निर्देश के साथ कि पेराई सत्र 2022–23 हेतु निर्गत गन्ना सर्वेक्षण नीति को विभागीय वैबसाईट www.sugarcane.uk.gov.in में upload करना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी अधिकारी, गन्ना शोध एवं अनुसंधान केन्द्र, काशीपुर।
7. प्रचार एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय, काशीपुर।
8. उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर।
9. संयुक्त आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर।
10. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, देहरादून।

30/4/22

आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या : /सी/ख–क्रय अनुभाग/गन्ना सर्वेक्षण/2022–23/दिनांक : अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून को उक्त सर्वेक्षण नीति पेराई सत्र 2022–23 की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी गन्ना पर्यवेक्षक सर्किल के कम से कम 20 प्रतिशत गन्ना सर्वेक्षण कार्य अपने पर्यवेक्षण में कराने हेतु अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कि गन्ना सर्वेक्षण की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके, यदि कहीं अनियमितता पायी जाती है तो उसके अपनी देख–रेख में सही करवाने हेतु यथोचित स्तर को निर्देशित करने का कष्ट करें। कृपया जांच परिणामों तथा किसानों की प्रतिक्रिया से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि कृपया वर्तमान में कोविड–19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत गन्ना सर्वेक्षण कार्य हेतु सम्बन्धित विभागीय कार्मिकों (गन्ना पर्यवेक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक आदि) को ड्यूटी पास निर्गत करने का कष्ट करें।

आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड

(परिशिष्ट–1)

गन्ना सर्वेक्षण कराने हेतु निर्धारित तिथियां

क्र0सं0	विवरण	निर्धारित समय
1	*2*	*3*
1.	सर्वे टीम का चयन, प्रशिक्षण, सर्वे सामग्री एवं अभिलेख उपलब्ध कराने तथा तिथिवार, ग्रामवार, प्रचार	दिनांक 01 मई, 2022 से दिनांक 05 मई, 2022 तक
2.	प्रथम सर्वेक्षण आरम्भ करने की तिथि	05 मई, 2022 से
3.	प्रथम सर्वेक्षण पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 25 जून, 2022 तक
4.	प्रथम सर्वेक्षण कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग में उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग/सांख्यिकी अनुभाग/क्रय अनुभाग को उपलब्ध कराने की तिथि	दिनांक 30 जून, 2022 तक
5.	पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण (परिशिष्ट–2 के अनुसार)	दिनांक 15 मई, 2022 से दिनांक 31 जुलाई, 2022 तक
6.	अंतिम सर्वेक्षण प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 01 सितम्बर, 2022
7.	अंतिम सर्वेक्षण पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 10 सितम्बर, 2022
8.	अंतिम सर्वेक्षण हेतु गन्ना विकास निरीक्षकों/खाण्डसारी निरीक्षक/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/प्रधान प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक/महाप्रबन्धक (गन्ना)/मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/गन्ना प्रबन्धक द्वारा आकस्मिक निरीक्षण	दिनांक 05 सितम्बर, 2022 से दिनांक 15 सितम्बर, 2022 तक
9.	अंतिम सर्वेक्षण हेतु सहायक गन्ना आयुक्त/सहायक चीनी आयुक्त/प्रचार एवं जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण	दिनांक 16 सितम्बर, 2022 से दिनांक 25 सितम्बर, 2022 तक
10.	अंतिम सर्वेक्षण कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त में उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग/सांख्यिकी अनुभाग/क्रय अनुभाग को उपलब्ध कराने की तिथि	दिनांक 30 सितम्बर, 2022

30/4/22

आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड

(परिशिष्ट–2)

बैंक का नाम/शाखा .....
बैंक खाता संख्या .....
गन्ना आपूर्ति का साधन .....

गन्ना क्षेत्र के सम्बन्ध में घोषणा पत्र

मैं ..... पुत्र/पत्नी श्री ..... निवासी ग्राम ..... मजरा ..... ब्लॉक ..... डाकधर ..... थाना ..... तहसील ..... जनपद ..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने निम्नलिखित विवरण के अनुसार पेराई सत्र ..... हेतु गन्ने की खेती की है।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	मजरा का नाम	अद्यतन खतौनी उद्धरण क्रमांक	खाता खतौनी क्रम संख्या	खतौनी में अंकित कुल क्षेत्रफल (हेक्टे0)	खतौनी में अंकित कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष कृषक का हिस्सा (हेक्टै0)	गन्ने का क्षेत्रफल (हेक्टै0)	गन्ने की प्रजाति	पेड़ी/पौधा	बुवाई की तिथि	फसल की दशा	गन्ना खेती की चारों भुजाओं की स्थिति			
												उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*

नोट :–

1. स्थान पर्याप्त न होने पर अलग शीट लगाकर सूचना भरी जाये। कॉलम 13, 14, 15 एवं 16 में गन्ना खेत के चारों दिशाओं (चौहद्दी) के खातेदारों एवं बोयी गई फसल/स्थिति का उल्लेख हो।
2. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 ..... का विधिक सदस्य हूं। गन्ने की खेती गत ..... वर्षो से कर रहा हूं एवं चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति गन्ना समिति के माध्यम से कर रहा हूं।
3. मैं यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया या गलत प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त सूचना में कोई गलती पाये जाने पर मेरे विरूद्ध गन्ना विभाग या सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 को कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 को मेरी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार होगा।

गवाह (नाम/पिता का नाम, ग्राम का नाम)	घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर, नाम एवं मोबाईल संख्या पहचान पत्र–आधार आदि	सम्बन्धित गन्ना पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर
1.	.....	.....
2.	.....	.....

प्राप्ति रसीद

श्री ..... पुत्र/पत्नी श्री ..... निवासी ग्राम ..... मजरा ..... ब्लॉक ..... डाकधर ..... थाना ..... तहसील ..... जनपद ..... का गन्ना क्षेत्रफल के सम्बन्ध में घोषणा पत्र दिनांक ..... को प्राप्त किया गया।

हस्ताक्षर अधिकृत कर्मचारी ..... नाम एवं पदनाम .....

(परिशिष्ट–3)

किसानों की सूची जिन्हें, गलत घोषणा पत्र देने के कारण पेराई सत्र 2022–23 में गन्ना आपूर्ति से वंचित किया जाना है।

क्र0सं0	नाम कृषक	ग्राम का नाम	घोषणा पत्र में अंकित गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टे0)			गन्ना सर्वेक्षण के दौरान पाया गया गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टे0		
			गन्ने की प्रजाति	पौधा	पेड़ी	गन्ने की प्रजाति	पौधा	पेड़ी
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

गन्ना पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

(परिशिष्ट–4)

गश्ती केन सर्वे रजिस्टर

नाम ग्राम ..... हल्का .....गन्ना पर्यवेक्षक .....
ब्लॉक ..... बावत वर्ष.....नाम गन्ना क्रय केन्द्र .....

क्र0सं0	चौहद्दी मीटर में						नाम कृषक मय पिता का नाम एवं निवास	स्वीकृत गन्ने का जातिवार विवरण (हेक्टे0)									क्षेत्रफल (हेक्टे0में)					पौधा गन्ना बुवाई की तिथि	सहफसली / क्षेत्रफल (हेक्टे0में)		भूमि का मालिकाना हक	रोग कीट यदि कोई पाया गया हो उसका विवरण	विशेषता खेत जैसे बीज, नर्सरी प्रतियोगिता, शरदकालीन पौधा इत्यादि	विशेष विवरण	मोबाईल न0	हस्ताक्षर गन्ना पर्यवेक्षक	हस्ताक्षर गन्ना कृषक
	कोड नम्बर	खसरा नम्बर	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण		पेडी					पौधा				पेडी	पौधा	शरदकालीन पौधा	अनुपयुक्त प्रजाति का गन्ना यदि कोई हो	सम्पूर्ण योग		फसल	क्षेत्रफल							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

(परिशिष्ट–5)

प्रत्येक स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में गन्ना सर्वेक्षण की जांच करने के लिये निर्धारित लक्ष्य

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	जांच हेतु निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य	निरीक्षण अवधि
1	2	3	4
1.	गन्ना विकास निरीक्षक	200 खेत प्रति टीम न्यूनतम 800 खेत	दिनांक 15 मई, 2022 से दिनांक 25 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।
2.	खाण्डसारी निरीक्षक	अपने कार्यक्षेत्र में न्यूनतम 250 खेत	दिनांक 15 मई, 2022 से दिनांक 25 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।
3.	विशेष सचिव/सचिव/सचिव प्रभारी/सहायक सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियां	200 खेत प्रति टीम न्यूनतम 800 खेत	दिनांक 15 मई, 2022 से दिनांक 25 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या सहायक गन्ना आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।
4.	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	10 प्रतिशत न्यूनतम 600 खेत	दिनांक 15 मई, 2022 से दिनांक 25 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।
5.	सहायक गन्ना आयुक्त	50 खेत प्रति परिषद/ न्यूनतम 400 खेत	दिनांक 15 मई, 2022 से दिनांक 30 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या उप गन्ना एवं चीनी आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।
6.	सहायक चीनी आयुक्त	अपने कार्यक्षेत्र में न्यूनतम 400 खेत	दिनांक 15 मई, 2022 से दिनांक 30 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या उप गन्ना एवं चीनी आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।
7.	प्रधान प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक/महाप्रबन्धक (गन्ना)	150 खेत सम्बन्धित चीनी मिल	दिनांक 15 मई, 2022 से दिनांक 30 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या उप गन्ना एवं चीनी आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।
8.	मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/गन्ना प्रबन्धक	200 खेत सम्बन्धित चीनी मिल	दिनांक 15 मई, 2022 से दिनांक 30 जून, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या उप गन्ना एवं चीनी आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।
9.	प्रचार एवं जनसम्पर्क अधिकारी	25 खेत प्रति परिषद/ न्यूनतम 100 खेत	दिनांक 15 मई, 2022 से दिनांक 15 जुलाई, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या उप गन्ना एवं चीनी आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।
10.	उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर।	10 खेत प्रति परिषद	दिनांक 15 जून, 2022 से दिनांक 15 जुलाई, 2022 तक निरीक्षण कर आख्या गन्ना एवं चीनी आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

30/4/22

आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड

(परिशिष्ट–6)

टिप्पणी

1. गन्ना सर्वेक्षण जांच का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाये कि समस्त चीनी मिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र किसी न किसी पर्यवेक्षकीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण से आच्छादित हो जाये। निरीक्षणकर्ता अधिकारी निर्धारित लक्ष्य के 50 प्रतिशत ऐसे प्लॉटों की जांच करेंगे, जिनकी उनके अधीनस्थ स्टाफ ने जांच की हो, शेष 50 प्रतिशत नये प्लॉट की जांच की जायेगी।
2. गन्ना सर्वेक्षण पूर्ण कराकर सम्बन्धित कार्यालयों को सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व अपने परिक्षेत्र हेतु सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का होगा। अपने जनपद/परिक्षेत्र में उक्त आख्या को प्राप्त कर क्रय अनुभाग एवं सांख्यिकी अनुभाग को सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त का होगा।
3. गन्ना सर्वेक्षण की जांच में 5% (पांच प्रतिशत) से अधिक अन्तर पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
4. गन्ना सर्वे कार्य की जांच मुख्य मार्गो से लगे हुए क्षेत्रों मे न करके मुख्य सड़कों से 5 से 10 कि0मी0 के सुदूर क्षेत्र में की जायेगी।
5. गन्ना सर्वेक्षण जांच कार्यो के समय समस्त गन्ना पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रामों की क्रमांकवार सूची तैयार करेंगे तथा पहले क्रमांक से लेकर अंतिम क्रमांक तक सर्वेक्षण का कार्य सम्पादित करेंगे। सर्वप्रथम उन ग्रामों से सर्वेक्षण/जांच का कार्य प्रारम्भ किया जाये, जहां से गत वर्ष शिकायतें प्राप्त हुई है। इसकी एक सूची ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक कार्यालय में अनुरक्षित रखी जायेगी।

23/4/22

आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड

(परिशिष्ट–7)

कृषकवार सर्वे एवं सट्टा सूचियों के आगणन एवं प्रदर्शन हेतु प्रारूप

1. नाम चीनी मिल : .....
2. नाम गन्ना समिति : .....
3. नाम गन्ना क्रय केन्द्र : .....
4. नाम ग्राम : .....
5. मिल क्षेत्र की औसत उपज कुन्तल/हे0 : .....

क्र0सं0	कृषक का नाम	पिता का नाम	कृषक का कृषि योग्य भूक्षेत्र (हेक्टे0)	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टे0)								
				शीघ्र पकने वाली जाति			अन्य प्रजातियां			अनुपयुक्त प्रजाति		
				पौधा	पेड़ी	योग	पौधा	पेड़ी	योग	पौधा	पेड़ी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

कुल क्षेत्र			कुल गन्ना उत्पादन (कु0)			गन्ना उत्पादन का 85 प्रतिशत (कु0)			कृषक की निर्धारित सट्टे की मात्रा (कु0)	निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ने की मात्रा का आफर (कु0)
पौधा	पेड़ी	योग	शीघ्र पकने वाली प्रजाति	अन्य प्रजाति	कुल	शीघ्र पकने वाली प्रजाति	अन्य प्रजाति	कुल		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

हस्ताक्षर
सर्किल इन्चार्ज

हस्ताक्षर
गन्ना विकास निरीक्षक

हस्ताक्षर
प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिल

हस्ताक्षर
ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक

(परिशिष्ट–8)

उपज बढ़ोत्तरी की सूचना प्रेषित करने हेतु
उपज बढ़ोत्तरी की अनुमति देने वाले कृषकों से सम्बन्धित सूचना

क्र0 सं0	नाम चीनी मिल	कृषक का नाम	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टे0)	कुल गन्ना उत्पादन (कुन्तल)	प्रति हेक्टेयर औसत उपज (कुन्तल)	अनुमन्य की गई उपज बढ़ोत्तरी (कुन्तल)	उपज बढ़ोत्तरी के बाद कुल गन्ना उत्पादन (कुन्तल)	कुल बेसिक कोटा (ला0कु0)	कुल सट्टा (ला0कु0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

पृष्ठांकन संख्या : /सी/ख–क्रय अनुभाग/गन्ना सर्वेक्षण/2022–23/दिनांक : अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास परिषदें, उत्तराखण्ड।
2. समस्त विशेष सचिव/सचिव/सचिव प्रभारी, सहकारी गन्ना विकास समितियां, उत्तराखण्ड।
3. सचिव प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक, सहाकारी, सार्वजनिक एवं निजी की चीनी मिलें, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
5. नोडल अधिकारी (आई0टी0) मुख्यालय, काशीपुर को इस निर्देश के साथ कि पेराई सत्र 2022–23 हेतु निर्गत गन्ना सर्वेक्षण नीति को विभागीय वैबसाईट www.sugarcane.uk.gov.in में upload करना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी अधिकारी, गन्ना शोध एवं अनुसंधान केन्द्र, काशीपुर।
7. प्रचार एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय, काशीपुर।
8. उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर।
9. संयुक्त आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर।
10. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संध लि0, देहरादून।

आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या : 235 /सी/ख–क्रय अनुभाग/गन्ना सर्वेक्षण/2022–23/दिनांक : 30 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून को उक्त सर्वेक्षण नीति पेराई सत्र 2022–23 की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी गन्ना पर्यवेक्षक सर्किल के कम से कम 20 प्रतिशत गन्ना सर्वेक्षण कार्य अपने पर्यवेक्षण में कराने हेतु अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कि गन्ना सर्वेक्षण की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके, यदि कहीं अनियमितता पायी जाती है तो उसके अपनी देख–रेख में सही करवाने हेतु यथोचित स्तर को निर्देशित करने का कष्ट करें। कृपया जांच परिणामों तथा किसानों की प्रतिक्रिया से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि कृपया वर्तमान में कोविड–19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत गन्ना सर्वेक्षण कार्य हेतु सम्बन्धित विभागीय कार्मिकों (गन्ना पर्यवेक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक आदि) को ड्यूटी पास निर्गत करने का कष्ट करें।

30/4/22
आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड